राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

अप्रैल 18,2020

संख्या ए/डीडीएमए/कोविड/केंद्रीय जिला/सीडी नं 092601071/2020/63

आदेश

जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) संतुष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कोविड–19, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन पहले ही वैश्विक महामारी घोषित कर चुका है, के फैलाव का खतरा है, और इसे रोकने के लिए प्रभावी उपायों की आवश्यकता है।

और जबकि, गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा–10(2)(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी आदेश संख्या 40–3/2020 डीएम–1 (ए), दिनांक 29.03.2020 से राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों को लॉकडाउन उपायों के कारण फंसे प्रवासी कामगारों सहित निर्धन और जरूरतमंद लोगों के लिए अस्थाई बसेरों सहित भोजन की पर्याप्त व्यवस्था करने को कहा है।

और जबकि, इन निर्देशों के अनुरूप जिला और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, डूसिब द्वारा बनाए गए अस्थाई बसेरों और रैन बसेरों में अनेक प्रवासी कामगारों और बेघर बेसहारा लोगों को शरण दी गई है और उनके लिए भोजन और अन्य बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

और जबकि, यमुना पुश्ता क्षेत्र में बेघर लोगों/भीड–भाड को रोकने, इस स्थल पर बसेरों में जगह की कमी को देखते हुए तथा कोविड–19 का खतरा रोकने के लिए सुरक्षित दूरी का पालन सुनिश्चित करने और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने से रोकने के लिए यमुना पुश्ते के 4000 से अधिक बेघरों को दिल्ली प्रशासन, दिल्ली पुलिस और डूसिब ने वहां से हटाकर विभिन्न जिलों में अस्थायी बसेरों में रखा है और भोजन तथा अन्य बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई हैं।

इसलिए अब अधोहस्ताक्षरी ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की राज्य कार्यकार्य समिति के अध्यक्ष के रूप में निर्देश जारी किए हैं।

क) उस जिले के संबंधित पुलिस उपायुक्त, जिस जिले में इन लोगों को रखा गया है, जिला प्रशासन द्वारा बनाये गये अस्थायी बसेरों में पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध करायेंगे।

ख) इस अस्थायी आश्रय गृहों का प्रबंधन पूरी तरह संबंधित जिला प्रशासन के नियंत्रण में होगा। वे इन आश्रय गृहों में रखे गये लोगों के लिए भोजन और बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करेंगे।

ग) इन आश्रय स्थलों की स्वच्छता/साफ सफाई की जिम्मेदारी सम्बंधित नगर निगम की होगी।

घ) सम्बंधित दिल्ली जल बोर्ड और डिस्कॉम इन आश्रय स्थलों में पानी और बिजली व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

ङ) डूसिब, जहां आवश्यक हो, मोबाइल शौचालय की व्यवस्था करेगा।

च) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग इन लोगों के लिए सामान्य चिकित्सा और जांच सुविधा सुनिश्चित करेगा।

छ) जिला मजिस्ट्रेट इन आश्रय गृहों में परामर्शदाताओं का दौरा सुनिश्चित करेंगे। इनमें से कुछ बेघर लोगों को लंबे समय के लिए परामर्श/पुनर्वास की जरूरत पड़ सकती है, इसे देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का समाज कल्याण विभाग ऐसे लोगों की जरूरतों का आकलन करेगा और अपने लामपुर केन्द्र में इसकी व्यवस्था करेगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेगा कि यह कार्य, बिना किसी विलम्ब के प्राथमिकता के आधार पर किया जाये।

जिला पुलिस उपायुक्त यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके जिले में सडक/गलियों या किसी स्थान पर मिले बेघर/बेसहारा लोगों को तुरंत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थापित किसी भी अस्थायी आश्रय गृह में लाकर रखा जाये।

(विजय देव)

मुख्य सचिव, दिल्ली

प्रतिलिपि अनुपालनार्थ :

1.. प्रधान सचिव (समाज कल्याण), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
2. प्रधान सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली जल बोर्ड।
5. सचिव (विद्युत), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डूसिब।
7. सभी जिला मजिस्ट्रेट, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. सभी जिला डीसीपीज, दिल्ली पुलिस।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. अपर सचिव, माननीय मुख्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

3. सचिव, माननीय उप मुख्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

4. आयुक्त दिल्ली पुलिस

5. प्रधान सचिव (राजस्व)/डिविजनल आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

6. राज्य कार्यकारिणी समिति, डीडीएमए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, के सभी सदस्य।

7. निदेशक (डीआईपी), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, को व्यापक प्रचार के लिए।

8. एसआईओ, एनआईसी को, इस अनुरोध के साथ कि इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

9. गार्ड फाइल।